



प्रेस नोट

दिनांक 08.10.2025

10 अभियुक्तगणों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के **थाना कोतवाली नगर, मौदहा, बिवार, राठ व थाना चिकासी** से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त- शाहरुख खान उर्फ अजीज खान पुत्र कल्लू खान निवासी मु0 कजियाना बदनपुर कालपी चौराहा थाना कोतवाली नगर हमीरपुर दिनांक 24.09.2025 से 06 माह ।
2. अभियुक्त- दीपक दुबे उर्फ कल्लू दुबे पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम खण्डेह थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 29.09.2025 से 06 माह ।
3. अभियुक्त- अमित यादव पुत्र कल्लू यादव ग्राम खण्डेह थाना मौदहा जनपद हमीरपुर , दिनांक 18.09.2025 से 06 माह ।
4. अभियुक्त- हरिया पुत्र कालीदीन निवासी ग्राम खण्डेह थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 19.09.2025 से 06 माह ।
5. अभियुक्त- भूपत यादव पुत्र रामआसरेय निवासी ग्राम खण्डेह थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 22.09.2025 से 06 माह ।
6. अभियुक्त- इरशाद उर्फ इद्दा पुत्र हल्लू उर्फ हलीम निवासी हुसैनिया कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.09.2025 से 06 माह ।
7. अभियुक्त- रामकृपाल पुत्र कालीचरण निवासी ग्राम छिरका थाना मौदहा जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.09.2025 से 06 माह ।
8. अभियुक्त- भरत कुमार राजपूत पुत्र भगवत प्रसाद निवासी पथनौडी थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 08.09.2025 से 06 माह ।
9. अभियुक्त- मोहित त्रिपाठी उर्फ रवि पण्डित पुत्र स्व0 राकेश त्रिपाठी निवासी मुगलपुरा कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर, दिनांक 10.09.2025 से 06 माह ।
10. अभियुक्त- मनीष कुमार पुत्र जयहिन्द निवासी ग्राम व थाना चिकासी जनपद हमीरपुर, दिनांक 12.09.2025 से 06 माह ।